राजस्थान सरकार

कार्मिक (ख–3/सुरक्षा) विभाग

क्रमांक.प.4(13)कार्मिक/ख–3/सुरक्षा/2005 दिनांक : 11 जनवरी, 2007

परिपत्र

विषय:– **सचिवालय परिसर में वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था।**

शासन सचिवालय परिसर में उत्तर पश्चिम कोने पर बहु-मंजिला पार्किंग-स्थल, और मुख्य भवन के सामने (लॉन के नीचे) दो तलीय भूमिगत कार पार्किंग–स्थल उपयोग हेतु तैयार हैं। उत्तर–पश्चिम पार्किंग–स्थल पर दो पहिया वाहनों की पार्किंग प्रारम्भ की जा चुकी है, तथा नवनिर्मित कार पार्किंग–स्थल में भी दिनांक 15–01–2007 से पार्किंग प्रारम्भ की जायेगी।

सभी सम्बन्धितों से अनुरोध है कि दिनांक 15–01–2007 से शासन सचिवालय परिसर में उपरोक्त पार्किंग स्थलों के अलावा अपने वाहन अन्य किसी स्थान पर पार्क नहीं करे। वाहनों के आवागमन तथा पार्किंग से सम्बन्धित स्थलों/प्रवेश द्वारों आदि को दर्शाने वाला नक्शा संलग्न है।

सभी अधिकारीगण/ कर्मचारीगण/ वाहन चालक/ आगन्तुकगण आदि की सुविधा के लिये वाहनों के प्रवेश, आवागमन तथा पार्किंग के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवस्था निम्नानुसार होगी:–

सचिवालय परिसर में वाहनों का प्रवेश व निकासी :–

1. सचिवालय परिसर में वाहनों का प्रवेश निम्नानुसार होगा:–

1.1 माननीय मुख्यमंत्रीजी का कारकेड, मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव/सचिव का वाहन, मंत्रालय भवन में बैठने वाले मंत्रीगण के वाहन और मुख्यमंत्री कार्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त अतिविशिष्ट आगन्तुकगण के वाहनों का सचिवालय परिसर में प्रवेश व निकास पश्चिमी द्वार (Western gate) से होगा, जो कि संलग्न नक्शे में West gate के रूप में दिखाया गया है।

1.2 उपरोक्त अनुच्छेद 1.1 पर वर्णित व्यक्तियों के अलावा मुख्य भवन में बैठने वाले मंत्रीगण और सभी भवनों (मुख्यभवन, खाद्यभवन, उत्तर–पश्चिम भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय भवन, मंत्रालय भवन, विकास–खण्ड भवन व डीपीआर भवन) में बैठने वाले अधिकारीगण/कर्मचारीगण के चार पहिया वाहनों (जिनके पास सचिवालय द्वारा जारी किया गया स्थायी/सावधिक पार्किंग टोकन है) का सचिवालय परिसर में प्रवेश, पूर्वी मुख्य द्वार से होगा, जिसे नक्शे में Main gate के रूप में दिखाया गया है।

1.3 जयपुर स्थित विभागाध्यक्षगण/अधिकारीगण, अथवा जयपुर से बाहर स्थित विभागाध्यक्षगण/अधिकारीगण के सचिवालय द्वारा जारी स्थायी/सावधिक पार्किंग टोकन शुदा चार पहिया वाहनों का प्रवेश भी सचिवालय परिसर के मुख्य द्वार (Main gate) से ही होगा।

1.4 मुख्य द्वार (Main gate) से प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का निकास डीपीआर द्वार से होगा, जिसे नक्शे में DPR gate के रूप में दर्शाया गया है।

1.5 सभी प्रकार के दो पहिया वाहनों का प्रवेश उत्तर–पश्चिमी पार्किंग स्थल पर सहदेव मार्ग स्थित प्रवेश मार्ग से होगा, जो कि नक्शे में Entry to N-W Parking के रूप में दर्शाया गया है।

1.6 सचिवालय में कार्यवश आने वाले राजस्थान के माननीय सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रमुखगण, प्रधानगण तथा आयोगों/निकायों के गैर सरकारी अध्यक्षगण के चार पहिया वाहनों, और अन्य आगन्तुकों के चार पहिया वाहनों, का प्रवेश उत्तर–पश्चिमी पार्किंग स्थल पर सहदेव मार्ग स्थित प्रवेश मार्ग (Entry to N-W Parking) से ही होगा।

30 11/1/07

1.7 उत्तरी–पश्चिमी पार्किंग स्थल पर पार्क होने वाले सभी प्रकार के दो पहिया व चार पहिया वाहनों का निकास, तिलक मार्ग स्थित निकास मार्ग (Exit from N-W parking) से होगा।

सचिवालय परिसर के अन्दर वाहनों का आवागमन व पार्किंग व्यवस्था:

2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के कारकेड् में शामिल वाहनों का सचिवालय परिसर में प्रवेश पश्चिमी द्वार (West gate) से होगा और ये वाहन Barricade 'A' के पार मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने तक जाकर, वहीं पार्क किये जायेंगे।

3. मंत्रालय भवन में बैठने वाले माननीय मंत्रीगण के वाहन भी सचिवालय परिसर में पश्चिमी द्वार (West gate) से प्रविष्ट होकर मंत्रालय भवन के पश्चिमी द्वार (Gate-2 Mantralaya Bhawan) तक जा सकेंगे, तथा वहां माननीय मंत्रीगण को उतारने के बाद मंत्रालय भवन के पश्चिमी तरफ खुले पार्किंग स्थल (Open Parking) पर पार्क होंगे।

4. मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव/सचिव का वाहन भी सचिवालय में पश्चिमी द्वार (West gate) से प्रविष्ट होकर Barricade 'A' तक जायेगा, और उक्त स्थान पर प्रमुख सचिव/सचिव को उतार कर मंत्रालय भवन के पश्चिमी तरफ खुले पार्किंग स्थल (Open Parking) पर पार्क होगा।

5. मुख्यमंत्रीजी से मिलने वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वाहन भी मंत्रालय भवन के पीछे वाले खुले पार्किंग स्थल पर ही पार्क किये जायेंगे। किसी भी अतिविशिष्ट आगन्तुक के वाहन को Barricade 'A' के आगे मुख्यमंत्री कार्यालय भवन के सामने पार्क करने की अनुमति केवल मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा सक्षम स्तर से प्रदत्त निर्देशों के आधार पर ही दी जायेगी।

6. अन्य सभी मंत्रीगण/अधिकारीगण, अर्थात मुख्य भवन में बैठने वाले मंत्रीगण, अधिकारीगण/कर्मचारीगण, मंत्रालय भवन में बैठने वाले अधिकारीगण/कर्मचारीगण, खाद्यभवन, उत्तर–पश्चिम भवन, विकास खंड भवन तथा डीपीआर भवन में बैठने वाले अधिकारीगण/कर्मचारीगण और मुख्यमंत्री कार्यालय भवन में बैठने वाले अधिकारीगण/कर्मचारीगण (मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव/सचिव के अलावा) के चार पहिया वाहन, सचिवालय परिसर में पूर्वी मुख्यद्वार (Main gate) से प्रविष्ट होकर निम्नानुसार संचालित व पार्क होंगे:–

   6.1 अनुच्छेद 6 में वर्णित सभी श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा **<u>स्वयं चालित (self-driven) चार पहिया वाहन</u>**, मुख्य द्वार (Main gate) से सचिवालय में प्रवेश के बाद कार पार्किंग के प्रवेश द्वार (Entry to Car Parking) से प्रवेश करके, प्रथम तल (upper basement) पर पार्क किये जायेंगे और अधिकारीगण/कर्मचारीगण अपनी सुविधा से मुख्य भवन को जोड़ने वाले कॉरीडोर संख्या–1 अथवा कॉरीडोर संख्या–2 से मुख्यभवन में प्रवेश करेंगे। मुख्यभवन में प्रवेश पश्चात:–

   (1) मुख्य भवन में बैठने वाले अधिकारी/कर्मचारी लिफ्ट अथवा सीढियों का उपयोग कर अपने अपने कार्यालयों/कक्षों में जा सकेंगे।

   (2) खाद्य भवन व उत्तर–पश्चिम भवन में बैठने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण, M-1 स्थान वाले द्वार (also known as GAD Mori) से निकल कर सम्बन्धित भवन में जा सकेंगे। इसी प्रकार विकास–खंड भवन अथवा डीपीआर भवन में बैठने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण, M-2 स्थान वाले द्वार (also known as Development Mori) से, और मंत्रालय भवन व मुख्यमंत्री कार्यालय भवन में बैठने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण, मुख्यभवन

30
11/1/07

के पश्चिम भाग में स्थित द्वार–एक अथवा द्वार–दो (Gate-1 or Gate-2) से निकल कर सम्बन्धित भवन में जा सकेंगे।

   (3) कार्यालय समय पश्चात् और अन्य आवश्यकतानुसार इसके अतिरिक्त भी, अधिकारीगण/ कर्मचारीगण को इन्हीं रास्तों का उपयोग करते हुये कार पार्किंग–स्थल में जाना होगा, और अपना वाहन लेकर वहाँ से केवल दक्षिण तरफ के निकास मार्ग (Exit [illegible]) से निकल कर डीपीआर द्वार से ही

करेंगे तथा द्वितीय भूमिगत तल (Lower Basement) में वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान पर ये वाहन पार्क किये जायेंगे।

7. अनुच्छेद 6.2 में वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों के चार पहिया वाहनों के चालकगण के बैठने हेतु कार पार्किंग-स्थल में व्यवस्था है, और आवश्यकतानुसार वाहन लगाने के लिये सम्बन्धित वाहन चालक को सूचित करने के लिये माईक व स्पीकर द्वारा सूचना प्रणाली (Hailing System) की व्यवस्था भी है। सम्बन्धित मंत्री/अधिकारी के निर्देशानुसार ये वाहन चालक सम्बन्धित कार्यालय में भी अन्य स्टाफ के साथ उपलब्ध रह सकते हैं।

8. अनुच्छेद 6.2 में वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों के वाहनों को उनकी मांग पर, वाहन चालक द्वारा उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध कराया जायेगा, जहां कि प्रातःकाल में कार्यालय आते समय उतारा गया था। इस हेतु वाहनों को पार्किंग स्थल से निकालने के लिये केवल दक्षिण तरफ के निकास द्वार (Exit from car parking) का ही उपयोग किया जायेगा। सचिवालय परिसर से बाहर जाने के लिये केवल डीपीआर गेट का ही उपयोग किया जायेगा।

<u>आगन्तुकों के वाहनः</u>

9. आगन्तुकों के वाहनों के लिये व्यवस्था निम्नानुसार रहेगीः

9.1 जयपुर स्थित, अथवा जयपुर से बाहर स्थित, विभागाध्यक्षगण/अधिकारीगण के वाहनों में से जिनके पास शासन सचिवालय से जारी किये गये स्थायी/सावधिक पार्किंग टोकन हैं, वे वाहन पूर्व पैरा 6.2 में वर्णित प्रक्रियानुसार अधिकारीगण को सम्बन्धित भवन के लिये निर्धारित स्थान (drop point) पर उतार कर, भूमिगत कार पार्किंग-स्थल के प्रवेश द्वार से प्रवेश कर द्वितीय तल (lower basement) में पार्क किये जायेंगे और आवश्यकतानुसार माइक से सूचित करा कर वापिस बुलाये जायेंगे।

9.2 माननीय सांसद/विधायकगण, तथा जिला प्रमुख, प्रधानगण तथा आयोगों/निकायों के गैरसरकारी अध्यक्षगण के वे वाहन जिनके पास शासन सचिवालय से जारी किये गये स्थायी/सावधिक पार्किंग टोकन हैं, उत्तर-पश्चिम पार्किंग-स्थल के सहदेव मार्ग पर स्थित प्रवेश मार्ग (Entry to N-W Parking) से उक्त पार्किंग के भूतल (ground floor) पर निःशुल्क पार्क किये जायेंगे। ऐसे आगन्तुक उक्त स्थल पर वाहन पार्क कर, नवनिर्मित स्वागतकक्ष से होकर सचिवालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

9.3 मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाले अतिविशिष्ट आगन्तुक के वाहनों को, मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बाबत निर्देश मिलने पर ही पश्चिमी द्वार (West gate) से सचिवालय में प्रवेश की अनुमति होगी, और ऐसे वाहन सामान्यतः Barricade 'A' तक ही जा सकेंगे, तथा मंत्रालय भवन के पीछे खुले पार्किंग-स्थल पर पार्क किये जायेंगे।

9.4 सामान्य आगन्तुकों के ऐसे वाहन, जिनके पास शासन सचिवालय से जारी किये गये स्थायी/सावधिक पार्किंग टोकन नहीं हैं, भी उत्तर-पश्चिम पार्किंग-स्थल के सहदेव मार्ग पर स्थित प्रवेश मार्ग (Entry to N-W Parking) से उक्त पार्किंग के भूतल (ground floor) पर पार्क किये जायेंगे तथा उनसे निर्धारित पार्किंग शुल्क पार्किंग ठेकेदार द्वारा वसूल किया जायेगा। ऐसे आगन्तुक उक्त स्थल पर वाहन पार्क कर, नवनिर्मित स्वागतकक्ष से होकर सुरक्षा जांच आदि के बाद सचिवालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

9.5 उत्तर-पश्चिम पार्किंग-स्थल में पार्क होने वाले सभी वाहन, तिलक मार्ग पर निकास मार्ग (Exit from N-W Parking) से बाहर जायेंगे।

11/1/07

विकलांगों के वाहन:–

10. विकलांग कर्मचारी/आगन्तुकों के दो पहिया/तीन पहिया वाहनो के लिये उत्तर–पश्चिम पार्किंग–स्थल के भूतल (ground floor) पर स्थान आरक्षित है। उक्त स्थान पर अन्य श्रेणी के वाहनों की पार्किंग वर्जित रहेगी।

प्रेस प्रतिनिधिगण के वाहन:

11. प्रेस / इलेक्ट्रोनिक मीडिया के वाहनों के लिये पार्किंग सुविधा उत्तर–पश्चिम पार्किंग स्थल पर नियमानुसार देय पार्किंग शुल्क के आधार पर उपलब्ध हो सकेगी।
12. यह निर्देश दिनांक 15–01–2007 से प्रभावी होंगे।

शासन उप सचिव
कार्मिक(ख)विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री महो.,राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण ।
4. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान जयपुर ।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्तगण।
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेंज।
8. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य मंत्री सुरक्षा एवं विजिलेन्स।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को विभिन्न समाचार–पत्रों मे प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
13. समस्त शासन उप सचिव / विशेषाधिकारी ।
14. समस्त सहायक शासन सचिव / अनुभागाधिकारी।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. नोटिस बोर्ड।

शासन उप सचिव

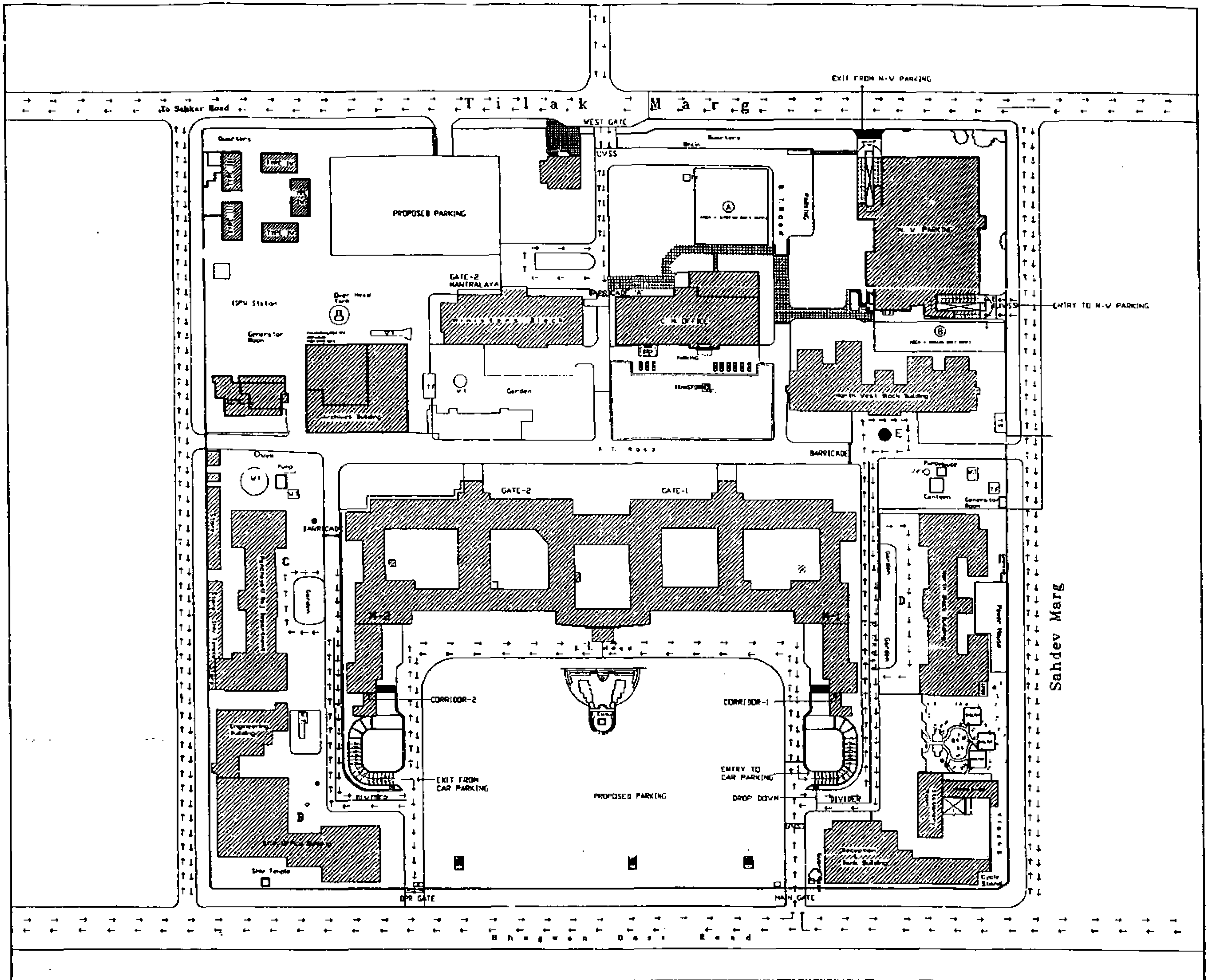

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
GOVT. OF RAJASTHAN

PROPOSED MASTER PLAN SECRETARIAT, JAIPUR.

NORTH

PROJECT NO.

DRAWING NO.

L.N. BHAKVARIA	INDER MOHAN SINGH	USHA KASANA	VINOD BHARGAVA
ASSISTANT ARCHITECT	DEPUTY ARCHITECT	SENIOR ARCHITECT	CHIEF ARCHITECT